

## अध्याय IV: आयकर और धनकर

### 4.1 प्रस्तावना

4.1.1 इस अध्याय में 133 आय कर मामलों पर चर्चा की गई है, जिनमें से ₹ 183.53 करोड़ के कम प्रभार वाले 133 मामले और ₹ 277.64 करोड़ के अधिक प्रभार के 10 मामले शामिल हैं, जिन्हें मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को जारी किया गया था। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.2 गलतियों के वर्गीकरण को व्यापक रूप से निम्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर छूटों/रियायतों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से बची आय
- अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

4.1.3 मंत्रालय ने ₹ 3.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार न करते हुए ₹ 365.51 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले 79 मामलों में अपनी स्वीकृति प्रकट की है। आईटीडी ने ₹ 451.93 करोड़ के कर प्रभाव वाले 132 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा ₹ 0.61 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की है।

इस रिपोर्ट की तालिका 2.6 (पैरा 2.3.4) व्यापक श्रेणी की चूकों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण को दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

### 4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में अनवरत कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 4.1 गलतियों की उप श्रेणियां दर्शाती है जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	19	33.44	बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश (एमपी), महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (यूपी).
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	11	11.39	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु (टीएन) और यूपी.
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियां	36	61.97	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल.
घ. अपीलीय आदेशों को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां	02	0.47	महाराष्ट्र और राजस्थान
<b>कुल</b>	<b>68</b>	<b>107.27</b>	

#### 4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने नीचे पांच निदर्शी मामले दिए हैं:

अधिनियम में प्रावधान है कि जैसा भी मामला हो, एओ को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण और कर या प्रतिदाय के सही राशि का मूल्यांकन करना अपेक्षित है।

**4.2.2.1 दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-2 प्रभार में, एओ ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति रमेश चन्द्र की ₹ 38.89 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 12 करोड़ के कर का निर्धारण पूर्ण<sup>79</sup> किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने निर्धारिती के विभिन्न बैंक खातों में अघोषित जमा के कारण कुल नामंजूरी को ₹ 44.12 करोड़ की बजाय ₹ 38.79 करोड़ संगणित किया। इसके अलावा, एओ ने निश्चित तिथि के अन्दर आय की रिटर्न न भरने के लिए अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.38 करोड़ के कर तथा ब्याज के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 5.33 करोड़ की आय का निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (जून 2015)।**

79 अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत

**4.2.2.2** सीआईटी सम्बलपुर प्रभार, उड़ीसा में, एओ ने ₹ 29.77 करोड़ की हानि पर मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात् नि. व. 2012-13 के लिए एक एओपी, **बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि.** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ (-)37.58 करोड़ की बजाय ₹ (-)50.72 करोड़ की रिटर्न आय को लिया। इसके अलावा, एओ ने अधिनियम की धारा 36(1) (viiए) के तहत कटौती को परिमाणित करते समय ₹ (-)50.72 करोड़ की बजाय शून्य पर लाभ तथा हानि खाते के अनुसार निवल लाभ को लिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.24 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 16.94 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) तथा धारा 147/143 (3) (दिसम्बर 2015) के तहत तथा धारा 154/147/143 (3) (अप्रैल 2016) के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था।

**4.2.2.3** महाराष्ट्र, सीआईटी (केन्द्रीय) IV प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2011 में ₹ 198.84 करोड़ की आय की संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति, **मनोज कुमार बाबुलाल पुनामिया** का निर्धारण पूरा किया था। एओ ने अस्पष्ट निवेश तथा लघु अवधि पूंजीगत प्राप्ति के आधार पर निर्धारिती की कुल आय में क्रमशः ₹ 9.38 करोड़ और ₹ 5.51 करोड़ के संवर्धन किए थे। तथापि, निर्धारिती की कुल आय तथा कर की गणना के समय संवर्धन हेतु केवल ₹ 5.51 करोड़ पर विचार किया गया था इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.38 करोड़ की आय, जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.80 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है, का अवर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (मार्च 2016)।

**4.2.2.4** दिल्ली सीआईटी (केन्द्रीय)-1 प्रभार में एओ ने ₹ 5.95 करोड़ की आय तथा उस पर ₹ 1.84 करोड़ के कर की नवम्बर 2014 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2011-12 के लिए एक कम्पनी, **सहारा इंडिया** का निर्धारण पूरा करते समय ₹ 183.99 करोड़ की बजाय ₹ 177.66 करोड़ के अस्वीकरण की संगणना की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.33 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.95 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि में परिशोधन किया था (दिसम्बर 2015)।

**4.2.2.5** मध्य प्रदेश, सीआईटी-1, भोपाल प्रभार में एओ ने ₹ 6.47 करोड़ की आय के लिए मार्च 2015 में नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति **आर. के. लालवानी** का निर्धारण पूरा<sup>80</sup> किया था एओ ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय गलती से ₹ 1.93 करोड़ के बजाय ₹ 0.93 करोड़ की आय कर की गणना की थी जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.56 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अगस्त 2015 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन किया था।

#### **4.2.3 कर और अधिभार की गलत दर लगाना**

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 115 एडी (1)(बी) प्रावधान करता है कि जहां विदेशी निवेशक संस्था (एफआईआई) की कुल आय प्रतिभूतियों के हस्तारण से लघु अवधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) से सृजित होती है, वहां ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर की गणना 30 प्रतिशत की दर पर की जाएगी। इसके अलावा, धारा 111ए प्रावधान करता है कि यदि ऐसे संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य है तो एसटीसीजी के माध्यम से प्राप्त आय पर संगणित आय कर राशि 15 प्रतिशत की दर पर होगी।

**4.2.3.1** महाराष्ट्र, सीआईटी (आईटी) III प्रभार में एओ ने अधिनियम की धारा 111ए के अनुसार 15 प्रतिशत की रियायती दर पर प्राप्त एसटीसीजी के साथ ₹ 19.47 करोड़ की रिटर्न आय को स्वीकार करते समय नवम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2009-10 के लिए **ट्रस्ट प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लि.ए/सी प्लेटिनम इंटरनेशनल फंड** का निर्धारण पूरा किया। चूंकि व्युत्पन्न से ट्रेडिंग कार्यकलाप से प्राप्त ₹ 19.47 करोड़ की एसटीसीजी पर कोई एसटीटी नहीं लगता, अतः उक्त को 15 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत की दर पर प्रभारित करना अपेक्षित था, इस चूक के परिणाम स्वरूप ₹ 19.47 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 4.37 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल है। आयकर विभाग ने इसे स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का परिशोधन किया (मार्च 2016)।

अधिभार तथा शिक्षा उपकर सहित आय कर को सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

**4.2.3.2** उत्तर प्रदेश, सीआईटी गाजियाबाद प्रभार में एओ ने ₹ 7.89 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय सहित ₹ 791 करोड़ की आय पर

80 अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144/147 के अन्तर्गत

फरवरी 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व 2008-09 के लिए एक व्यक्ति, **राम कुमार त्यागी** का निर्धारण पूरा करने समय दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत की लागू दर की बजाय 10 प्रतिशत की दर पर कर लगाया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.04 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया (जनवरी 2016) ।

**4.2.3.3** महाराष्ट्र, प्र. सीआईटी III (सेन्ट्रल) प्रभार में एओ ने 'शून्य' आय पर नवम्बर 2007 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2005-06 के लिए एक एओपी, **भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड** का निर्धारण पूरा किया था, जिसे ₹ 168.60 करोड़ की आय पर मई 2012 में धारा 147 के अंतर्गत पूनः निर्धारण किया गया था, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय एओ ने नि.व. 2005-06 के लिए लागू<sup>81</sup> शिक्षा उपकर का उदग्रहण नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का परिशोधन किया था (जनवरी 2016)।

#### 4.2.4 ब्याज उदग्रहण में चूकें

हमने नीचे ऐसे पांच सोदाहरण मामले दिए हैं:

अधिनियम सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज के उदग्रहण के प्रावधान करती है।

**4.2.4.1** पूर्व आन्ध्रप्रदेश प्रभार में सीआईटी-IV हैदराबाद के एओ ने नवम्बर 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत नि.व 2010-11 के लिए ₹ 466.65 करोड़ की आय के लिए **आन्ध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड** का निर्धारण पूरा करते समय धारा 234 ए के तहत 40 महीने के लिए ₹ 57.01 करोड़ के उदग्रहणिय ब्याज के प्रति 30 महीने के लिए ₹ 42.76 के ब्याज का उदग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.25 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (दिसम्बर 2016) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (सितम्बर 2015)।

**4.2.4.2** सीआईटी (सी)-2 प्रभार दिल्ली में एओ ने मार्च 2015 में अधिनियम के लिए क्रमशः की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत नि.व

81 वि.व 2005-06 के लिए आयकर तथा अभिभार पर दो प्रतिशत की दर पर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय था

2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 0.55 करोड़, ₹ 15.23 करोड़, ₹ 135.93 करोड़, ₹ 13.44 करोड़ और ₹ 57.86 करोड़ की आय पर एक व्यक्ति **रमेश चन्द** का निर्धारण पूरा किया। जांच के दौरान, निर्धारिती को नि.व 2007-08 से 2011-12 के लिए उसकी आय के रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए 19 सितम्बर 2013 को नोटिस देने के सोलह दिन के अन्दर निर्धारिती को धारा 153ए के अन्तर्गत नोटिस जारी किए थे। यद्यपि, निर्धारण की समाप्ति तक निर्धारिती द्वारा इन निर्धारण वर्षों की आय के रिटर्न फाइल नहीं किए गए थे, एओ ने अधिनियम की धारा 234 ए के अन्तर्गत ब्याज उदग्रहण नहीं किया। इसके अलावा, नि.व. 2011-12 के लिए, ₹ 56.86 करोड़ की निर्धारित आय को पूर्णान्कित कर ₹ 57.86 करोड़ कर दिया गया था। इन चूकों के परिणाम स्वरूप ₹ 12.75 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम (जून 2015) की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटियों में सुधार किया।

**4.2.4.3 प्र. सीआईटी पंचकुला प्रभार हरियाणा** में एओ ने जनवरी 2013 में अधिनियम की धारा 148 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत नि.व. 2006-07 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के **हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** का क्रमशः ₹ 9.60 करोड़, ₹ 14.18 करोड़, ₹ 18.96 करोड़ ₹ 34.06 करोड़ और ₹ 12.67 करोड़ के लिए निर्धारण पूरा किया। 31 अक्टूबर 2012 को धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिसों की प्रतिक्रिया में, निर्धारिती ने 30 नवम्बर 2012 को नि.व. 2006-07, 2008-09 से 2011-12 के लिए आय के अपने रिटर्न दाखिल किए और अतः धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज सभी निर्धारण वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि से उदग्रहण था। तथापि, एओ ने इन नि.व. के लिए उदग्रहण ब्याज के ₹ 10.86 करोड़ के बजाय ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.74 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम (जनवरी 2016) की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

**4.2.4.4 प्र.सीआईटी-III अहमदाबाद प्रभार, गुजरात** में एओ ने नि.व 2011-12 के लिए ₹ 23.88 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत एक व्यक्ति **राजेश सिंह जी राजपूत** का निर्धारण पूरा किया। यद्यपि निर्धारिती ने धारा 148 (मार्च 2014) के तहत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में अपनी आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया था, एओ ने आय का रिटर्न दाखिल न करने के लिए धारा 234 ए के

तहत ब्याज उदग्रहित नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.24 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। प्र. सीआईटी-3 अहमदाबाद ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुमोदन दिया था (जनवरी 2016)।

**4.2.4.5** सीआईटी-1 चेन्नई प्रभार तमिलनाडु में एओ ने मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2007-08 से 2012-13 के लिए एक फर्म **रत्ना स्टोर्स** का निर्धारण पूरा किया था। निर्धारिती ने न तो धारा 139(1) के तहत अपेक्षित आय का रिटर्न भरा न धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस की प्रतिक्रिया में उसे दाखिल किया (जनवरी 2014)। तथापि, एओ ने धारा 234ए के अन्तर्गत रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि से ब्याज उदग्रहित करने के बजाय नोटिस जारी होने की तिथि से ब्याज उदग्रहित किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ का कम ब्याज उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और फरवरी 2016 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा।

#### **4.2.5 अपीलीय आदेशों को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां**

नीचे हम ऐसे दो सोदाहरण मामले दे रहे हैं:

आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक पीड़ित निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आय कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है जो उसे दिए गए अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। आयकर अधिनियम की धारा 250 के तहत अपील प्रभावित करते समय, निर्धारण अधिकारी को अपीलीय आदेश देखने के बाद सही कुल आय की गणना करनी होती है और छूट के बाद देय कर का निर्धारण करना होता है।

**4.2.5.1** प्र. सीआईटी 1 नागपुर प्रभार महाराष्ट्र में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 3.56 करोड़ की आय पर **द वाशिम अरबन को. ओप. बैंक लि.** एक सहकारी समिति (बैंक) का निर्धारण पूरा किया जिसे फरवरी 2015 में सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय संशोधित कर ₹ 3.68 करोड़ कर दिया गया था। सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय संगणित कुल आय को आईटीडी सिस्टम में गलती से ₹ 2.86 करोड़ प्रविष्ट किया गया था और इसलिए कर ₹ 1.14 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 88.47 लाख पर उदग्रहित किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 25.35 लाख का कम कर उदग्रहित किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2015 में धारा 154 के तहत सुधार किया।

**4.2.5.2** सीआईटी- III जयपुर प्रभार, राजस्थान में, एओ ने नि.व 2010-11 के लिए संविक्षा के बाद दिसम्बर 2012 में ₹ 1.34 करोड़ की आय पर एक व्यक्ति **मनोज कुमार जोहरी** का निर्धारण पूरा किया जिसे नवम्बर 2013 में धारा 250 के तहत संशोधित कर ₹ 1.03 करोड़ की आय पर किया गया। सीआईटी (अपील) ने सितम्बर 2013 के अपने आदेश द्वारा धारा 80 आईबी के तहत ₹ 31.17 लाख के अस्वीकरण के प्रति ₹ 29.62 लाख की छूट अनुमत की थी और ₹ 1.80 करोड़ की शुल्क फिरती की आय के संबंध में निर्धारिती और धारा 80 आईबी के तहत कटौती के दावे के लिए ₹ 4.68 लाख के आयात लाइसेंस की बिक्री जिसका कुल निवल लाभ के भाग के रूप में ₹ 1.85 करोड़ बनता है कि अपील खारिज की थी। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में शुल्क फिरती सहित ₹ 1.32 करोड़ और ₹ 1.85 करोड़ की आयात लाइसेंस की बिक्री का निवल लाभ दर्शाया गया था। चूंकि शुल्क फिरती और आयात लाइसेंस की बिक्री से आय धारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट के लिए योग्य नहीं है, धारा 80 आईबी के तहत कटौती का दावा करने के लिए ₹ 53.11 लाख की निवल हानि हुई थी। इसलिए, धारा 80 आईबी के तहत अनुमत ₹ 29.62 लाख की कटौती/रियायत नियमानुसार नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 29.62 लाख की छूट की गलत अनुमति हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.26 लाख का कर उदग्रहणीय था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

### **4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन**

**4.3.1** अधिनियम अध्याय IV-ए के तहत कुल आय की संगठना करने में निर्धारिती तथा इससे प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को स्वीकृत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामले आय कर विभाग की ओर से कर प्रशासन में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों में कमी दर्शाते हैं, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उन श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रबंधन के तहत चूक की उप श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	06	3.92	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, यूपी और पश्चिम बंगाल
ख. ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/रियायत	17	41.09	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड एमपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ग. व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति	06	2.56	बिहार, दिल्ली, ओडिसा, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानि/पूँजीगत हानि की स्वीकृति में अनियमितताएं	09	15.71	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी चण्डीगढ़ और पश्चिम बंगाल
<b>जोड़</b>	<b>38</b>	<b>63.28</b>	

#### 4.3.2 व्यष्टियों को अनियमित छूट/कटौती/रियायत

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिये हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 54 एफ में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत छूट का दावा करने के लिए, निर्धारिती नई परिसम्पत्ति के अलावा वास्तविक परिसम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथिसे एक आवासीय गृह से अधिक का स्वामी नहीं होगा।

**4.3.2.1** सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद प्रभार, आन्ध्र प्रदेश में, एओ ने ₹ 22.31 करोड़ की आय पर मार्च 2014 को नि.व. 2010-11 के लिए धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत एक व्यक्ति **सबिनेनी सुरेंद्र** का निर्धारण पूरा किया। यद्यपि निर्धारिती के पास **मै. कोस्टल प्रोजेक्टस लि.** में शेयरों के हस्तांतरण की तिथि पर सात आवासीय भवन संपत्तियां थी, एओ ने अधिनियम की धारा 54 एफ के तहत ₹ 9.54 करोड़ की कटौती अनुमत की। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.54 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.91 करोड़ का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति यह कहते हुए स्वीकार नहीं की कि सम्पत्तियां वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दी गई थी और अधिनियम में शब्द आवासीय भवन को परिभाषित नहीं किया गया था और वह सम्पत्ति के उपयोग के अनुसार विवेचित किया गया था। आयकर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि करारों के अनुसार, सम्पत्तियों की प्रकृति केवल आवासीय थी और निर्धारिती ने 'गृह सम्पत्ति से आय' के शीर्ष के अन्तर्गत

इन यूनिटों से आय दर्शाई हुई थी। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी(1) में प्रावधान है कि जहां दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति (इस भाग में आगे से हस्तांतरित पूंजीगत परिसम्पत्ति को वास्तविक परिसम्पत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है।) के हस्तांतरण से अर्जित पूंजीगत लाभ होता है और निर्धारिती ने ऐसे हस्तांतरण से छः महीने की अवधि में किसी भी समय, पूंजीगत लाभ का पूर्ण या कोई भाग दीर्घावधि विनिर्दिष्ट परिसम्पत्ति में निवेश किया हो, पूंजीगत लाभ इस सीमा तक कर से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, श्रीमती दक्षाबेन आर पटेल बनाम एसीआईटी सर्किल 2(1) बडोदरा (2012) 22 टेक्समैन डॉट काम 237 (अहमदाबाद) के मामले में क्षेत्राधिकारी आईटीएटी के निर्णय जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि 'जहां निर्धारिती ने सम्पत्ति की बिक्री से पूर्व आरईसी बांड की खरीद की हो, धारा 54ईसी के तहत छूट अनुमत नहीं है।

4.3.2.2 प्र. सीआईटी-III, अहमदाबाद प्रभार गुजरात में, एओ ने फरवरी 2014 में नि.व 2011-12 के लिए ₹ 28.53 लाख की आय पर एक व्यक्ति **राजेन्द्र एच प्रजापति** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने भूमि की तीन यूनिटों की बिक्री द्वारा ₹ 8.04 करोड़ का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ अर्जित किया और धारा 54 ईसी के तहत ₹ 1.50 करोड़ की कटौती का दावा आरईसी बांड में निवेश के रूप में इस तथ्य के बावजूद किया कि ₹ 50 लाख मूल्य के आरईसी बांड 31 मार्च 2010 को खरीदे गए थे अर्थात् सम्पत्तियों के हस्तांतरण की तिथि से पूर्व, जो की अनुमत नहीं था। इसके अलावा, निर्धारिती ने ₹ 50 लाख के लिए आरईसी बांड की प्रत्येक खरीद 21 जुलाई 2010 और 08 अप्रैल 2011 को की थी जबकि आरईसी बांड की खरीद के समय निवेश के लिए केवल ₹ 55.10 लाख का पूंजीगत लाभ उपलब्ध था। अतः ₹ 94.90 लाख के आरईसी बांड में निवेश के लिए कटौती का दावा और स्वीकृति अनियमित थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 94.90 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 26.39 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। प्र. सीआईटी-3, अहमदाबाद ने अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुमोदन दिया था (जुलाई 2015)।

4.3.2.3 सीआईटी-17, कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में, एओ ने नि.व. 2013-14 के लिए मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद ₹ 28.07 लाख की आय पर एक व्यक्ति **मानस राय चौधरी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने एक फ्लैट के मूल्य को विक्रेय स्टॉक से ₹ 76.40 लाख के कुल प्रतिफल पर पूंजीगत परिसम्पत्ति के रूप में परिवर्तित किया। एओ ने विक्रेय स्टॉक के परिवर्तन को ₹ 76.40 लाख की अल्पावधि पूंजीगत लाभ के रूप में पूंजीगत

परिसम्पत्ति के रूप में निर्धारण किया और धारा 54 ईसी के तहत आरईसी के कर योग्य बांड में उसे निवेश करने के लिए ₹ 50 लाख की कटौती अनुमत की। तथापि, चूंकि पूंजीगत लाभ किसी दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए देय नहीं थी, निर्धारिती को ₹ 50 लाख की कटौती अनुमत नहीं थी। अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 21.94 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और जनवरी 2016 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10बी ऐसे लाभ और प्राप्तियों की कटौती का प्रावधान करता है जो कम्प्यूटर साफ्टवेयर के वस्तुओं या चीजों के निर्यात से सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रमों से लगातार 10 निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए हुआ हो। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मामले में ऐसी यूनिटों की कटौती निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

**4.3.2.4 प्र. सीआईटी-।** कानपुर प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने मार्च 2015 में संविक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए धारा 10 बी के तहत ₹ 49.12 लाख की कटौती अनुमत करने के बाद ₹ 3.90 लाख की आय पर एक व्यक्ति **उपेन्द्र सिंह** का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) यूनिट के रूप में कार्य प्रारंभ किया और नवम्बर 2002 में उसे 100 प्रतिशत ईओयू की स्थिति प्रदान की गई थी। तथापि, धारा 10बी के अन्तर्गत ₹ 49.12 लाख की कटौती अनुमत की गई थी जबकि योग्य अवधि नि.व 2009-10 से अधिक की थी। अनुमत अवधि से अधिक की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 49.12 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज के ₹ 20.33 लाख सहित कर कम उदग्रहित किया गया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत गलती को सुधारा (फरवरी 2016)।

#### **4.3.3 ट्रस्टो/फर्मो/सोसाइटियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौति/राहत**

हम नीचे ऐसे चार सोदाहरण मामले दे रहे हैं।

**4.3.3.1 प्र. सीआईटी विजयवाडा प्रभार आन्ध्र प्रदेश में** एओ ने एक निर्धारिती वीजीटीएम अर्बन डेवलेपमेंट अथारिटी का नि.व. 2009-10 और 2010-11 के लिए निर्धारण क्रमशः नवम्बर 2011 और दिसम्बर 2012 में संविक्षा के बाद शून्य आय पर किया। निर्धारिती ने नि. व. 2009-10 और 2010-11 के लिए ऋण शोधन निधि हेतु क्रमशः ₹ 11.02 करोड़ और ₹ 9.72 करोड़ की राशि की

कटौती का दावा किया था और उसे अनुमत की गई थी। ऋण शोधन निधि के लिए जमा राशि केवल भविष्य के व्यय को पूरा करने का प्रावधान था, उसे कर योग्य आय में दोबारा जोड़ना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप नि.व 2009-10 के लिए ₹ 1.10 करोड़ और के संभावित कर प्रभाव के अलावा ब्याज सहित क्रमशः ₹ 23.83 करोड़ और ₹ 4.14 करोड़ का कर कम उदग्रहित होने के साथ नि. व 2009-10 और 2010-11 के लिए बराबर राशि की आय की कम संगणना हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 147 के तहत त्रुटियों को सुधारा (मार्च 2015)।

**4.3.3.2 प्र.सीआईटी-111 नागपुर प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को. ओपरेटिव बैंक लि. एक सहकारी बैंक की संवीक्षा जनवरी 2013 और नवम्बर 2011<sup>82</sup> में नि.व. 2007-08 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 5.63 करोड़, ₹ 8.14 करोड़, ₹ 9.94 करोड़ और ₹ 14.05 करोड़ की संवीक्षा निर्धारण किया था। पूरी आय की संगणना करते समय एओ ने धारा 36(1)(viiए) के तहत ₹ 0.62 करोड़, ₹ 0.66 करोड़, ₹ 0.81 करोड़ और ₹ 1.14 करोड़ जो निर्धारिती द्वारा दावा की गई आय का कुल 7.5 प्रतिशत बनता है, जेसा निर्धारिती द्वारा दावा किया गया था, की कटौती अनुमत की थी किन्तु ₹ 7.61 करोड़, ₹ 8.14 करोड़, ₹ 9.94 करोड़ और ₹ 14.05 करोड़ की कटौती की अनुमति नहीं दी जो संबंधित वर्षों के लिए बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए औसत अग्रिमों का कुल है, पर कटौती की अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि निर्धारिती एक अनुसूचित बैंक नहीं है। निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई अपील के विरुद्ध मार्च 2014 में सीआईटी(ए) ने निर्णय दिया कि धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती अपीलकर्ता के बही खातों के खराब और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधानों के कारण डेबिट की गई वास्तविक राशि तक सीमित होना हो। तथापि, सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावित करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा दावा की गई ₹ 8.23 करोड़, ₹ 8.80 करोड़, ₹ 10.75 करोड़ और ₹ 15.19 करोड़ की पूरी कटौती के दावे के प्रति संबंधित वर्षों के लिए बही खातों में खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधानों के कारण ₹ 5.39 करोड़, ₹ 6.13 करोड़, ₹ 2.99 करोड़ और ₹ 5.81 करोड़ डेबिट किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.65 करोड़ (₹ 2.84 करोड़ + ₹ 2.67 करोड़ + ₹ 7.76 करोड़ + ₹ 9.38 करोड़) की अधिक कटौती हुई जिसमें ब्याज छोड़ कर ₹ 7.37 करोड़ का कर कम उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 (मार्च 2015) के तहत त्रुटि को सुधारा और**

---

82 नि.व 2009-10 के लिए 82

सभी निर्धारण वर्षों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा संगणित ₹ 7.37 करोड़ के प्रति मार्च 2015 में ₹ 6.99 करोड़ की गई मांग की वसूली की गई थी। आयकर विभाग ने आगे उत्तर दिया (दिसम्बर 2015) कि ₹ 0.38 करोड़ की अन्तरीय राशि के लिए धारा 154 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है।

अधिनियम की धारा 11(1) (ए) पूर्ण रूप से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्याय के तहत सम्पत्ति से प्राप्त आय के 15 प्रतिशत के संग्रहण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, धारा 11(4ए) यदि किसी व्यवसाय से न्यास के उद्देश्यों की उपलब्धि प्रासंगिक है और ऐसे न्यास या संस्थान द्वारा ऐसे व्यवसाय के संबंध में एक पृथक बही खाते का अनुरक्षण किया जा रहा है तो व्यवसाय से लाभ और प्राप्ति की ऐसे न्यास की आय में शामिल किया जाना चाहिए और व्यवसाय से लाभ और प्राप्तियों सहित आय का 15 प्रतिशत अधिनियम की धारा 11 (1)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत संग्रहित अनुमत किया जाना चाहिए।

**4.3.3.3 डीआईटी-छूट प्रभार पश्चिम बंगाल में, एओ ने मार्च 2014 में नि.व 2011-12 के लिए ₹ 24.96 लाख की आय पर धारा 144 के तहत सनमार्ग वेलफेयर सोसाईटी एक न्यास का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, एओ ने विभिन्न शीर्षों से ₹ 7.82 करोड़ की आय के बजाय ₹ 38.83 करोड़ की निवल प्राप्ति पर छूट (15 प्रतिशत) अनुमत की। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.96 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने कहा (जून 2014) कि धारा 11(1) के तहत संचयन वित्तीय कार्यों से सकल आय के साथ अन्य स्रोतों से आय पर अनुमत होना चाहिए। आयकर विभाग का उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि धारा 11(4ए) के अनुसार, व्यवसायिक कार्यों से लाभ निर्धारिती की कुल आय में शामिल किया जाना चाहिए और संचयन निर्धारिती की कुल आय पर प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें व्यवसायिक कार्यों से लाभ पर विचार किया जाना चाहिए और व्यवसायिक कार्यों से कुल प्राप्तियों पर नहीं। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और मार्च 2016 में धारा 144/147 के तहत त्रुटि में सुधार किया।**

अधिनियम की धारा 40(बी) एक फर्म के भागीदार की पूंजी पर ब्याज और कार्यकारी भागीदारों के मेहनताने के लिए आय की गणना का प्रावधान करता है, यदि भागीदारों के ऐसे भुगतानों के लिए भागीदारी डीड अनुमति देती है। यह भागीदारों की ओर से कर योग्य है किन्तु फर्म से प्राप्त लाभ का भाग भागीदारों के हाथों में छूट प्राप्त है। इसके अलावा, अधिनियम धारा 80 आईबी (10) के अनुसार, एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2008 से पूर्व अनुमोदित विकास और भवन आवासीय परियोजनाओं का कार्य करने वालों के मामले में ऐसी आवासीय परियोजना से किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक कटौती पिछले वर्ष में प्राप्त लाभ का सौ प्रतिशत होगा।

**4.3.3.4** प्र.सीआईटी-1, सूरत प्रभार गुजरात में, एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए **नीलकान्त डेवलेपर्स**, एक फर्म का निर्धारण 'शून्य' आय पर पूर्ण किया। पार्टनरशिप डीड के खण्ड 6 और 7 से यह पाया गया कि भागीदारों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज और उसके तीन कार्यकारी भागीदारों को मेहनताने का 33 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की दर से भुगतान का प्रावधान किया गया था। तथापि, लाभ और हानि खाते में निर्धारिती ने ब्याज या मेहनताने लिए भागीदारों को ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं किया था, जबकि पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म द्वारा ऐसा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इसके अलावा, निर्धारिती फर्म ने अधिनियम की धारा 80 आईबी (10) के तहत ₹ 3.18 करोड़ के पूरे लाभ का दावा कटौती के रूप में और अनुमत किया था। यदि लाभ की गणना भागीदारों को पूंजी पर ब्याज और कटौती अनुमत करने के बाद की जाती तो, फर्म का लाभ इस सीमा से कम होता और भागीदार प्राप्त ब्याज और मेहनताने पर कर के भुगतान के दायी होते। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 37.19 लाख के अदत्त ब्याज और ₹ 1.69 करोड़ के मेहनताने की सीमा तक की अधिक कटौती हुई जो कुल ₹ 2.07 करोड़ है जिसमें भागीदारों की ओर से ₹ 63.85 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की (फरवरी 2016)।

#### **4.3.4 व्यवसाय व्यय की गलत स्वीकृति**

हम नीचे ऐसे तीन सोदाहरण मामले दे रहे हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 43बी प्रावधान करता है निर्धारिती द्वारा कर, शुल्क, उपकर या फी द्वारा देय कोई राशि जिसे किसी भी नाम से बुलाए किसी भी कानून के तहत हो जो उस समय लागू हो, केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

**4.3.4.1** प्र. सीआईटी 21 प्रभार, दिल्ली में एओ ने दिसम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए **ब्रिज गोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी** की ₹ 1.37 करोड़ की आय और ₹ 46.62 लाख के कर निर्धारण की संवीक्षा पूरी करते समय लाभ और हानि खाते में डेबिट बिक्री कर के लिए प्रावधान के कारण ₹ 2.08 करोड़ की कटौती अनुमत की। चूंकि उक्त राशि का भुगतान वास्तव में वर्ष के दौरान नहीं किया गया था, उसे अस्वीकृत करना अपेक्षित था और कर योग्य आय में दोबारा जोड़ा जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 70.65 लाख के कर का कम उदग्रहण शामिल था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अगस्त 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा।

अधिनियम की धारा 40ए(3) प्रावधान करती है कि जहां कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संदर्भ में व्यक्ति को भुगतान या समस्त भुगतान एक दिन में किया गया हो, बैंक से आहरित आदाता खाता चेक या आदाता खाता बैंक ड्राफ्ट ₹ 20,000 से अधिक हो, तब उन मामलों और स्थितियों को छोड़कर ऐसे व्यय के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें नीचे आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6डीडी में निर्दिष्ट किया गया है।

4.3.4.2 प्र.सीआईटी देहरादून प्रभार उत्तरांचल में एओ ने ₹ 40.13 लाख की आय पर फरवरी 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए, एक व्यक्ति **इतिशा गोयल** का निर्धारण पूरा करते समय, भूखण्ड की खरीद पर ₹ 1.33 करोड़ का व्यय, जिसकी लागत का भुगतान नकद में किया गया था अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती भूखण्ड के विकास और प्लाटों की बिक्री के व्यवसाय में लगा था और इसलिए उसे ऐसे कार्यों के लिए ₹ 20,000. से अधिक के नकद भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। निर्धारण के समय नकद में किए गए भुगतान के लिए व्यय का दावा एओ द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था और व्यय निर्धारिती की कर योग्य आय में जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.48 लाख का कर कम की उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने यह कह कर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि खरीदी गई भूमि कृषि भूमि थी जिसे खरीद के बाद व्यापार में स्टाक परिवर्तित किया गया था और खरीद के समय पूंजीगत परिसम्पत्ति थी। इसके अलावा, चूंकि भूमि को पूंजीगत परिसम्पत्ति के रूप में खरीदा गया था और व्यय के रूप में नहीं अतः उस पर धारा 40ए (3) के प्रावधान लागू नहीं हैं।* उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्धारिती भूखण्ड/प्लाटों की खरीद और बिक्री से संबंधित या और उक्त कृषि भूमि की खरीद के बाद, निर्धारिती ने इसे एक कालोनी में आवासीय प्लाट में परिवर्तित किया था, स्पष्ट रूप से अच्छे लाभ के लिए धारा 40ए(3) के प्रावधानों को आकृष्ट करने के लिए निर्धारिती के उद्देश्य और कार्य विधि का पता चलता है। इसके अतिरिक्त, लेन देने जिसके लिए भुगतान किए गए थे को मामलों और परिस्थितियों द्वारा कवर नहीं किया गया था जो आय कर नियमावली, 1962 के नियम 6डीडी के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट थे। न्यायिक निर्णय<sup>83</sup> कि यदि लेन देन, निर्धारिती के व्यवसाय से कम में है, तो भूमि सम्पदा में संबंधित एकल लेन देन व्यवसाय की प्रकृति में एक जोखिम का काम है, भी प्रासंगिक है।

83 सरोजकुमार मजूमदार बनाम सीआईटी (371 आईटीआर) (एससी)

**4.3.4.3** प्र.सीआईटी-1 चण्डीगढ़ प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व 2009-10 के लिए एक व्याक्त सेवक राम की ₹ 11.33 करोड़ की आय पर शीर्ष खरीद के अन्तर्गत ₹ 94.86 लाख का व्यय अनुमत किया जिसका नकद में भुगतान किया गया था। चूंकि भुगतान अधिनियम की धारा 40ए(3) के प्रावधानों के विपरीत किया गया था, उसे अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था और निर्धारिती की कर योग्य आय में दोबारा जमा किया जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 94.86 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.46 लाख का कर प्रभाव शामिल था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2016) और धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया (मार्च 2016)।

#### **4.3.5 मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं**

हम नीचे चार निदर्शी मामले दे रहे हैं:

सीबीडीटी ने दिनांक 11.09.2007 के निर्देश सं. 09/2007 द्वारा उन मामलों को उजागर किया है जिसमें मूल्यहास की गलत अनुमति और अग्रेषित हानियों को गलत क्षतिपूर्ति के कारण राजस्व की भारी हानि हुई थी। अतः बोर्ड ने निर्देश दिए कि निर्धारिती अधिकारी प्रत्यक्ष रिकार्डों के संदर्भ से संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करेंगे और अनावशेषित मूल्यहास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण रिकार्डों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अग्रेषित हानियों और मूल्यहास के दावों की अनुमति की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

**4.3.5.1** प्र. सीआईटी 6 पुणे प्रभार महाराष्ट्र में एओ ने ₹ 53.63 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए एक सहकारी समिति लोकनेटे बाबू राव पाटिल एसएसके लि. का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने नि. व. 2010-11 के लिए आय के नि.व. 2005-06, 2007-08, 2008-09, और 2009-10 से संबंधित कुल ₹ 8.29 करोड़ की अग्रेषित व्यवसायिक हानियों और मूल्यहास को निर्धारित कर अपने रिटर्न को 'शून्य' दाखिल किया। तथापि, नि.व 2005-06 और 2007-08 से संबंधित हानियों को नि.व 2008-09 और 2009-10 की आय के प्रति पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। अतः हानियों के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 8.29 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.56 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को

स्वीकार किया (नवम्बर 2016) और धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि को सुधारा (जून 2014)।

धारा 72 आगामी आठ निर्धारण वर्षों के हानि और लाभ के प्रति निर्धारण वर्ष की कुल हानि के अग्रेषण और निर्धारण का प्रावधान करती है। अधिनियम के अन्तर्गत, निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण में आय के निर्धारण या हानि को सही तरीके से निर्धारित करना अपेक्षित है और तदनुसार, हानियों के निर्धारण और अग्रेषण की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने सभी निर्धारण अधिकारियों को दिनांक 27-07-1973 की निर्देश सं. 574 द्वारा निर्देश दिया था कि अधिक निर्धारण के परिणामस्वरूप अतिशयोक्ति पूर्ण मांग होती है जिससे अनावश्यक रूप से बकाया आंकड़ों को बढ़ा दिया जाता है जिससे बचना चाहिए।

**4.3.5.2** सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 35.79 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक सहकारी बैंक कटक सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. का निर्धारण पूरा किया। यह पाया गया कि नि.व 2011-12 के लिए ₹ 5.71 करोड़ की हानियों का अग्रेषण नि.व 2012-13 की आय के प्रति समंजन के लिए अनुमत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ तक की सीमा के कर प्रभाव के साथ आय का अधिक निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का संशोधन किया (जुलाई 2015)। *तथापि, मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (अगस्त 2016) कि धारा 154 के अन्तर्गत आदेश 03 जुलाई 2015 को स्वयं किया गया था, इससे पहले कि आपत्ति की सूचना दी जाती।* मंत्रालय का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति एओ को सूचित कर दी गई थी और आपत्ति को देखने के बाद एओ ने 03 जुलाई 2015 को त्रुटि को संशोधित किया।

**4.3.5.3** प्र. सीआईटी वलसाड प्रभार गुजरात में एओ ने नि.व 2011-12 के लिए एक एओपी, मरोली, विभाग खण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि. का संवीक्षा निर्धारण फरवरी 2014 में आय की सीमा तक ₹ 27.60 करोड़ की अनाव शोषित व्यवसायिक हानियों पर समंजित करने के बाद 'शून्य' आय पर पूरा किया। एओ ने नि.व. 2008-09 से संबंधित ₹ 4.29 करोड़ की व्यवसाय हानि का अग्रेषण और नि.व. 2003-04 से 2006-07 से संबंधित ₹ 13.24 करोड़ का अनावशोषित मूल्यहास अनुमत किया। तथापि, नि.व. 2003-04 से 2006-07 की व्यवसाय हानि को पहले ही नि.व. 2008-09 की आय के प्रति समंजित किया गया था और नि.व. 2011-12 में ₹ 27.60 करोड़ के बजाय केवल ₹ 18.12 करोड़ (नि.व 2006-07 के लिए ₹ 2.33+ नि.व. 2009-10 के

लिए ₹ 15.79 करोड़) ही समंजन हेतु उपलब्ध था। अतः नि.व. 2009-10 की ₹ 4.29 करोड़ की व्यवसायिक हानि को अग्रेषित करना गलत था क्योंकि हानि को नि. व 2011-12 की आय के प्रति समंजित किया जा सकता था। गलती के परिणाम स्वरूप ₹ 4.29 करोड़ की हानियों का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 1.21 करोड़ के संभावित कर और ₹ 12.22 लाख के सकारात्मक कर, जो कुल ₹ 1.33 करोड़ है का कम उदग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने धारा 155(4) के अन्तर्गत गलती को सुधारा (फरवरी 2015)।

**4.3.5.4** सीआईटी-सेन्ट्रल बेंगलोर प्रभार कर्नाटक में, एओ ने ₹ 1.30 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 1.64 करोड़ की अग्रेषित व्यवसायिक हानि के समंजन के बाद ₹ 0.34 लाख की आय का रिटर्न दाखिल किया जबकि समंजन हेतु कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। ₹ 1.64 करोड़ की हानि के गलत समंजन के परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 81.06 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

#### **4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय**

**4.4.1** अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थी, जिसके कारण वे कर से छूट गईं। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गईं।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों की (₹ करोड़ में) उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्यों
क. गलत वर्गीकरण तथा पूंजीगत लाभों की संगणना	07	5.60	गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ख. आय की गलत गणना	08	6.27	गुजरात और महाराष्ट्र
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	03	1.18	छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश
घ. अस्पष्ट निवेश/रोकड़ क्रेडिट	02	0.33	छत्तीसगढ़ और हरियाणा
ङ. आर्मस लेंथ मूल्य का गलत मूल्यांकन	01	1.64	आन्ध्र प्रदेश
च. धन कर का उदग्रहण न करना/कम करना	07	0.47	गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
<b>कुल</b>	<b>28</b>	<b>15.49</b>	

#### 4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हम नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शा रहे हैं:-

धारा 50सी में प्रावधान किया गया है कि जहां पर पूंजीगत भूमि या बिल्डिंग या दोनों के एक निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित करने के परिणामतः प्राप्त मुआवजा ऐसे हस्तांतरण के संदर्भ में स्टैम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के स्टैम्प वेल्यू प्राधिकरण द्वारा अपनाए मूल्य से कम हो तो उसे ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त मुआवजे की पूर्ण कीमत माना जाएगा।

**4.4.2.1 सीआईटी-1** जयपुर प्रभार राजस्थान में, एओ ने नि.व 2011-12 के लिए ₹ 27.94 लाख की आय पर मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति **सुनील संखाला** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने वि.व 2006-07 के दौरान ₹ 19.27 लाख की आय पर कृषि भूमि की खरीद की और कृषि उद्देश्य को आवासीय उद्देश्य में भूमि के परिवर्तन के लिए ₹ 5.62 लाख का व्यय किया, अतः अधिग्रहण की कुल लागत ₹ 24.89 लाख थी। निर्धारिती ने वि.व 2010-11 के दौरान ₹ 53.00 लाख के कुल बिक्री प्रतिफल पर भूमि की बिक्री की और ₹ 27.94 लाख के लिए व्यवसाय से आय के शीर्ष के तहत लेन देन दर्शाया/परिवर्तित आवासीय भूमि के मूल्य के उद्देश्य के लिए स्टाम्प पूंजीकरण विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारण ₹ 8.23 करोड़ किया गया था। इस बिक्री के लेन देन के परिणामस्वरूप ₹ 7.90 करोड़ का दीर्घवधि पूंजीगत लाभ हुआ। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ तक के दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ का

कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने राजस्व के ब्याज पर पूर्वाग्रही धारा 263 के तहत आदेश पास कर गलती को सुधारा और उसे नए आदेशों के लिए खारिज किया (फरवरी 2016)।

अधिनियम की धारा 45(1) प्रावधान करती है कि पूंजीगत परिसम्पत्त के हस्तांतरण से प्राप्त कोई लाभ और हानि 'पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अन्तर्गत आय कर को प्रभाय होगी और जिस वर्ष हस्तांतरण हुआ था उस वर्ष में कर योग्य है।

**4.4.2.2** प्रधान सीआईटी-III, अहमदाबाद प्रभार गुजरात में एओ ने नि.व 2012-13 के लिए जून 2014 में एक व्यक्ति **इलेश भाई पी, शाह** का ₹ 2.82 करोड़ की रिटर्न आय पर निर्धारण पूरा किया था। निर्धारिती ने मार्च 2009 में ₹ 84.00लाख और ₹ 19.19 लाख के लिए गांधीनगर पर दो कृषि भूमि की खरीद की और मई 2011 में दोनो भूमि क्रमशः ₹ 84.00 लाख और ₹ 19.19 लाख पर बेच दी। निर्धारिती ने ₹ 84.00 लाख बिक्री मूल्य से ₹ 19.19 लाख (दोनों भूमि की) की अधिग्रहण लागत से कटौती के बाद गांधी नगर में भूमि की बिक्री से ₹ 64.81 लाख का लघु अवधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) घोषित किया था। तथापि, निर्धारिती ने दूसरी भूमि से प्राप्त ₹ 1.16 करोड़ के बिक्री प्रतिफल को कर के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। गलती के परिणाम स्वरूप ₹ 1.16 करोड़ के एसटीसीजी का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 45.52 लाख का कम कर उदग्रहित हुआ। आयकर विभाग ने कहा कि आपत्ति स्वीकार करने योग्य है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्र. सीआईटी-3 अहमदाबाद को प्रस्तुत कर दिया गया था।

#### **4.4.3 आय की गलत गणना**

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

**4.4.3.1** प्र.सीआईटी-I पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने बताई गई हानियों का निर्धारण करने के पश्चात 'शून्य' आय पर नवम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए एक एओपी (सहकारी समिति), **वृद्धेश्वर सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड** की निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। निर्धारण आदेश में एओ ने यह कहते हुए कि निर्धारिती ने दोनों सीजन 2007-08 और 2008-09 के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एएएमपी) से कम कीमत पर भुगतान किया था, अतिरिक्त गन्ना अधिक क्रय मूल्य के लिए कोई बढोत्तरी नहीं की। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने सीजन 2008-09 के लिए गैर-सदस्यों को ₹ 1,595.63 प्रति मी.टन और सदस्यों के लिए ₹ 1,600 प्रति.मी.टन के अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया था। हांलांकि, सीजन 2008-09 में खरीदे गए भारत सरकार

के ₹ 1300.03 वाले निर्देशों<sup>84</sup> के अनुसार केवल 165832 मी.ट. (57804 मी.टन सदस्यों को तथा 108028 मी. टन गैर-सदस्यों को) के लिए ही माना जाना चाहिए था। अतिरिक्त गन्ना मूल्य का समायोजन गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 द्वारा खण्ड 5 ए के तहत गन्ने के लिए निर्धारित सूत्र के अनुरूप नहीं था। ₹ 4.93 करोड़ मूल्य के गन्ने क अधिक भुगतान के कारण आय का इतना कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 1.52 करोड़ की कर उगाही की संभावना निहित थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (दिसम्बर 2016) और धारा 143 (3) के साथ पठित 147 के तहत आदेश जारी करते हुए (मार्च 2015) त्रुटि में सुधार किया।

**4.4.3.2 प्र.सीआईटी वलसाड प्रभार, गुजरात में एओ ने जनवरी 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति संजीत जे. विश्वास की नि.व. 2011-12 के लिए आय का निर्धारण ₹ 26.13 लाख किया। निर्धारण आदेश में यह देखा गया कि निर्धारिती के पास जॉब वर्क के लिए ₹ 64.23 लाख की प्राप्ति का कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, एओ ने निर्धारण किया कि बैंक में नकद जमा ₹ 84.75 लाख की गैर अभिलेखित प्राप्तियां थी और इस पर कर लगाया जाना चाहिए था। हालांकि एओ ने छुपाई गई प्राप्ति पर केवल ₹ 16.80 लाख का लाभ जोड़ा जो बही खाता ओर नकद जमा में दर्ज नहीं थे, चूंकि निर्धारिती ने उक्त नकद जमा के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और जॉब वर्क प्राप्ति को छुपाना स्वीकार कर लिया, ₹ 1.49 करोड़ की कुल राशि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.32 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ (₹ 1.49 करोड़ - ₹ 16.79 लाख) जिसके कारण ₹ 54.74 लाख के कर की कम वसूली हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली और मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।**

#### **4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक**

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

धारा 40(ए) (iए) में प्रावधान है कि ऐसे भुगतान जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा नहीं नहीं कराया गया है उसके प्रति व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

84 गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 (एसएमपी + 5ए) का खण्ड 5 ए

**4.4.4.1** प्र. सीआईटी इलाहाबाद प्रभार में एओ ने नवम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति, **लाल चंद यादव** की आय का निर्धारण ₹ 55.91 लाख करते समय क्रेन किराया प्रभारों के प्रति निर्धारिती द्वारा किए गए ₹ 1.83 करोड़ की अनुमति दी जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई है। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 82.30 लाख की कर प्रभाव वाली ₹ 1.83 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने आपत्ति मान ली और मार्च 2015 में धारा 143(3)/263 के तहत त्रुटि में सुधार किया।

#### **4.4.5 अस्पष्ट निवेश**

हमने नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दिए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 69सी में प्रावधान है कि जहां किसी वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती ने कोई व्यय किया है और उसने ऐसे व्यय या व्यय के किसी भाग यदि कोई हो, द्वारा के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ऐसे व्यय या उसके किसी भाग, जैसा भी मामला हो तो उसमें निहित राशि को ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जाएगा।

**4.4.5.1** प्र. सीआईटी गुड़गाँव प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2015 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति, **नरेश** की नि.व. 2009-10 की आय का निर्धारण ₹ 128.61 लाख किया। निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान निर्धारिती ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वीपीओ नरसिंह पुर में नकद जमा ₹ 111.89 लाख और एक्सिस बैंक, सेक्टर-14 में नकद जमा ₹ 59.50 लाख के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। निर्धारण पूर्ण करते हुए एओ ने उसे 'अघोषित स्रोतों से आय' के रूप में मानते हुए ₹ 1.12 करोड़ के अस्पष्ट जमा को फिर से जोड़ दिया, जबकि ₹ 59.50 लाख की राशि नहीं जोड़ी गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20 लाख के कर प्रभाव वाली ₹ 59.50 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (दिसम्बर 2015)।

**4.4.5.2** सीआईटी बिलासपुर प्रभार, छत्तीसगढ़ में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2010-11 के लिए एक व्यक्ति, **बिशम्भर दयाल अग्रवाल** की आय का निर्धारण ₹ 10.00 लाख किया और निर्धारिती की प्राप्ति का स्रोत मुख्यतः राज्य सरकार के विभाग अर्थात् पीडब्ल्यूडी से था। पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी फार्म 16ए से जुड़े विवरण की जांच से पता चला कि

विभाग ने बिल की कुल राशि से निष्पादन गारंटी और अन्य जमा राशि के प्रति ₹ 30.45 लाख की राशि की कटौती की। यह कटौती प्रकृति में जमा राशि है और परस्पर सहमति पर एक समय के बाद वापसी योग्य है। इस प्रकार इसे तुलन पत्र की परिसंपत्ति में जमा शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिये। तथापि, तुलनपत्र में यह देखा गया कि इन कटौतियों का लेखांकन नहीं किया गया है जो दर्शाता है कि यह कटौतियां आय के अन्य स्रोतों से की गई है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी और अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत अप्रकटित निवेश के रूप में निर्धारिती की आय में पुनः जोड़ दिया जाना चाहिये था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप आय का कम मूल्यांकन हुआ उस सीमा तक जहां ब्याज सहित ₹ 12.80 लाख के कर की कम वसूली हुई थी। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 143 (3)/147 के अंतर्गत गलती को सुधारा था (जनवरी 2015)।

#### 4.4.6 आर्म्स लेन्थ प्राइस का गलत आकलन

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 92 सी के अंतर्गत आर्म्स लेन्थ प्राइस की गणना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ) को संदर्भित करनी चाहिये। टीपीओ, निर्धारिती की सुनवाई के बाद, किसी भी निर्धारित बिन्दुओं पर अपेक्षित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सभी उचित सामग्री जो उसने एकत्र की हो को ध्यान में रखते हुए लिखित में, आदेश द्वारा, धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के संबंध में एएलपी निर्धारित करेगा और अपने आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 92 ई के अंतर्गत, व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से संबंधित सभी विवरण दर्शाते हूये निर्धारित प्रपत्र 3सीईबी में लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

4.4.6.1 सीआईटी (आईटी एंड टीपी) प्रभार आन्ध्र प्रदेश में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर (टीपीओ-3) ने वैल्यू लैब्स एलएलपी के मामले में जनवरी 2016 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 2.96 करोड़ का समायोजन किया। सामायोजन समायोजन फार्म 3सीईबी में प्रतिवेदित तीन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस (एई) से जुड़े लेनदेन के संबंध में किया गया था। तथापि, एई मैसर्स वैल्यू लैब एफजेड एलएलसी, यूएई के साथ ₹ 67.41 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन 3 सीईबी में प्रतिवेदित नहीं किया गया था और इसलिये ₹ 42.14 करोड़ के परिचालन राजस्व में शामिल नहीं किया गया था। एई को बिक्री का मूल्य (परिचालन राजस्व) इस प्रकार ₹ 109.54 करोड़ (₹ 42.14 + ₹ 67.41) निकला। आर्म्स लेन्थ प्राइस को ध्यान में रखने के बाद, अनुपाती परिचालन लागत ₹ 117.41 करोड़ बनी और इस राशि के प्रति प्राप्त राशि ₹ 109.54 करोड़ थी। इस प्रकार धारा 92सीए के अंतर्गत ₹ 7.87 करोड़ का समायोजन हुआ और टीपीओ द्वारा की

गई ₹ 2.81 करोड़ नहीं। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के कर की कम वसूली सहित ₹ 5.05 करोड़ का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2016) और धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा (मार्च 2016)।

#### 4.4.7 संपत्ति कर की कम उगाही/गैर-उगाही

₹ 0.47 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े संपत्ति कर के सात मामले मई 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान मंत्रालय को प्रतिवेदित किये गये थे। हमने पाया कि गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एओ ने इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों<sup>85</sup> का पालन नहीं किया। एक ऐसा उदाहरण नीचे दिया गया है:

4.4.7.1 ए.अब्दुल रफीक की नि.व 2008-2009 से 2012-13 के लिये आयकर जांच आकलन मार्च 2014 में उप आयकर आयुक्त, सेन्ट्रल सर्किल-2(2) बेंगलौर द्वारा किया गया था। यह देखा गया कि निर्धारिती के पास नि.व. 2008-2009 से 2012-13 के लिए ₹ 18.46 करोड़ की सकल संपत्ति थी। तथापि, न तो निर्धारिती ने रिटर्न फाइल किया और न ही विभाग ने कोई संपत्ति कर के आकलन कार्यवाही की। चूक के परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा 17बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 23.45 लाख के परिणामी कर वाली ₹ 18.46 करोड़ की संपत्ति का आकलन नहीं हुआ। आईटीडी ने संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 16(3)आर डब्ल्यू.एस 17 के अंतर्गत गलती को सुधारा (अक्टूबर 2015)।

#### 4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने असम, दिल्ली और पंजाब में ₹ 275.13 करोड़ के अधिक कर/ब्याज से जुड़े नौ मामलों में आय का अधिक आंकलन देखा। ऐसे दो उदाहरण नीचे दिये हैं।

4.5.1.1 सीआईटी सैन्ट्रल लुधियाना प्रभार, पंजाब में, एओ ने तिलक राज बेदी, पुनीत एक्सपोर्ट्स के मालिक का ₹ 34.02 करोड़ की आय पर नवंबर 2013 में धारा 144 के साथ पठित धारा 153 के अंतर्गत नि.व. 2007-08 हेतु आकलन किया। कर मांग की गणना करते समय एओ ने 47 माह की अवधि हेतु ₹ 5.33 करोड़ की सही राशि के बजाय 80 माह की अवधि हेतु धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 9.07 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया। गलती के कारण

---

85 नवंबर 1973, अप्रैल 1979 और सितंबर 1984 में एओ को जारी सीबीडीटी के निर्देश।

धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की अधिक उदग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा (दिसंबर 2015)।

4.5.1.2 प्रधान सीआईटी-2, गुवाहाटी प्रभार, असम में, एओ ने ₹ 22.58 लाख की आय पर मार्च 2014 में ब्लॉक आकलन के अंतर्गत नि.व. 2008-09 के लिये सोविंदर सिंह सेठी का मूल्यांकन करते समय, ₹ 6.86 लाख की बजाय ₹ 31.55 लाख की कर देयता निकाली। गलती के कारण ₹ 24.69 लाख के कर का अधिक प्रभार हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया और अक्टूबर 2015 में धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधारा।

